

0-12-8
205/552

ग्रामीण सेवा विवर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीनाथोपुर (सीकर)


क्रमांक / रीडर / 2025 / 3881

दिनांक 17/10/2025

उपरोक्त प्रकरण - सावित्रीदेवी बन्तन मृनिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एतद आर्यो एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 229/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयनामका लेख है कि तहसीलदार श्रीनाथोपुर ने जरिबे पत्रांक 02 / मूअ / 2025 दिनांक 23/10/2025 के द्वारा राजस्थान नू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत मिजवाये गये राजस्व ग्राम अशोधा पटवारी हल्का अशोधा तहसील श्रीनाथोपुर जिला सीकर में नूमे खाता संख्या 438555A खातेदार सावित्रीदेवी पति सुप्रसन्न राम अशोधा ग्राम पर सावित्रीदेवी अशोधा का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का अशोधा उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीनाथोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3882-83

दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

- 1 तहसीलदार श्रीनाथोपुर (सीकर) का नूकालार्थ।
- 2 पटवारी हल्का अशोधा तहसील श्रीनाथोपुर को पालनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीनाथोपुर (सीकर)

